...ालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या:–80 / 2010

1. श्री लेखराज पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री राजेन्द्र कुमार पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री जसवन्त पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री धनश्याम पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. श्री प्रहलाद पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
6. श्री सुरेश पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
7. श्री दरबार पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
8. श्री रामलाल पिता उंकार जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0

–– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती नन्दुबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्रीमती नर्बदाबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्रीमती श्यामूड़ीबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री अम्बालाल पिता प्यारचन्द जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88–188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित:– श्री धर्मचन्द नागौरी– अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांक 18.08.2021

1. वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, आर.टी.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा की आराजी संख्या 412

रकबा 0.33 हैक्ट0, आराजी संख्या 413 रकबा 0.13 हैक्ट0, आराजी संख्या 414 रकबा 0.33 हैक्ट0, आराजी संख्या 556 रकबा 0.10 हैक्ट0, आराजी संख्या 558 रकबा 0.14 हैक्ट0, आराजी संख्या 559 रकबा 0.73 हैक्ट0, आराजी संख्या 564 रकबा 0.67 हैक्ट0, आराजी संख्या 633 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 635 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 636 रकबा 0.18 हैक्ट0, कुल किता 11 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 पुर्व में धन्ना जी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। धन्ना जी के दो सन्तान थी उंकार जी एवं चुन्नीलाल जी । उंकार जी के वारीसान वादीगण है तथा चुन्नीलाल जी के वारीसान प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 है। वादीगण शिड्यूल ट्राईब जाति के होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। तथा चुन्नीलाल जी के देहान्त के बाद उनकी लड़कीयों का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है तथा हम वादीगण ही चुन्नीलाल के वेद्य वारिस है उक्त आराजी हम वादीगणों के नाम दर्ज किया जावें।

2. प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया बावजूद सुचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली में साक्ष्य वादी की गई तथा एक तरफा बहस सुनी गई दौरान बहस वकील वादी ने वाद के मुल बिन्दु को दौराते हुए कथन किया कि वादीगण शिड्यूल ट्राईब जाति के होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। तथा चुन्नीलाल जी के देहान्त के बाद उनकी लड़कीयों का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है तथा हम वादीगण ही चुन्नीलाल के वेद्य वारिस है उक्त आराजी हम वादीगणों के नाम दर्ज किया जावें।

3. बहस सुनी गई संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वादी ने वाद में स्वयं स्वीकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 चुन्नीलाल की पुत्रीया है तथा उसके कोई लड़का नही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के अनुसार पुत्रीयों का पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 मृतक चुन्नीलाल की जाइन्दा पुत्रिया है तथा वादीगण चुन्नीलाल के भाई के लड़के है। जहा तक हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत ट्राइबल की लड़कियों का नाम नहीं लगने बाबत् वाद पत्र में अंकित किया है जो की पूर्णरूप से सही नही है । तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर पारित निर्णय अपील/डीक्री/टी.ए./2008/5034/करोली (2021 RBJ 394) उनवान मु. रतनी बाई बनाम बत्तूलाल में भी वर्णित है कि section 8 provision of Hindu

Succession Act 1956 are not Applicable on the person of Meena Community. In Meena Community daughters have no right in the property of their father but if there is no Son then daughters will inherit the property of their Father. (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर नहीं होते है मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है? लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पुत्रीयों को पिता की सम्पति में अधिकार प्राप्त होते है) चुन्नीलाल की मृत्यु हो चूकी है और यह स्वीकृत तथ्य है कि चुन्नीलाल के कोई भी पुत्र नहीं है चुन्नीलाल की पुत्रीया उनकी वारिसान है चूकी वादी एवं प्रतिवादीगण मीणा समुदाय के है इसलिए उन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है बल्कि मीणा समुदाय के प्रचलित नियम लागू होते है। इस प्रकरण में चूंकी चुन्नीलाल के कोई पुत्र नहीं था इसलिए चुन्नीलाल की पुत्रीया ही वारिस होने के कारण चुन्नीलाल के हिस्से की भूमि की उत्तराधिकारी उसकी पुत्रीया प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायात 3 है। आरएलडब्ल्यु–2014(1) (राज.) पेज 126 द्वारा इस मत की पुष्टि होती है। उक्त मत 1998 आर आर डी पेज–391 के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर चुन्नीलाल के देहान्त के बाद विरासत में खोले गये नामान्तकरण में चुन्नीलाल की पुत्रीयों का नाम दर्ज किया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं कि गई है। अतः वाद पत्र खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

4. अतः पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था तथा संलग्न दस्तावेजों, साक्ष्य एवं सबूतों पर मनन किया गया जिससे वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

मुल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा **(R.A.S.)** उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—80/2010

1. श्री लेखराज पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री राजेन्द्र कुमार पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री जसवन्त पिता मोतीलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री धनश्याम पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. श्री प्रहलाद पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
6. श्री सुरेश पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
7. श्री दरबार पिता रूपलाल जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
8. श्री रामलाल पिता उंकार जाति मीणा निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0

—— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती नन्दुबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्रीमती नर्बदाबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्रीमती श्यामूड़ीबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री अम्बालाल पिता प्यारचन्द जाति मीणा निवासी निवासी चौकी का खेडा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188–209 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांकः–18.08.2021

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री धर्मचन्द्र नागौरी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिकी की जाती है कि मौजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी में स्थित आराजी संख्या 412 रकबा 0.33 हैक्ट0, आराजी संख्या 413 रकबा 0.13 हैक्ट0, आराजी संख्या 414 रकबा 0.33 हैक्ट0, आराजी संख्या 556 रकबा 0.10 हैक्ट0, आराजी संख्या 558 रकबा 0.14 हैक्ट0, आराजी संख्या 559 रकवा 0. 73 हैक्ट0, आराजी संख्या 564 रकबा 0.67 हैक्ट0, आराजी संख्या 633 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 635 रकबा 0.18 हैक्ट0, आराजी संख्या 636 रकबा 0.18 हैक्ट0, कुल किता 11 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 का वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश वाद पत्र सारहीन होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5............. रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल	01 02		1 स्टाम्प आराजी दावा 2 स्टाम्प वकालात नामा 3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 5.......... रूपये पर प्लीडर की फीस 6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 7 कमिश्नर की फीस 8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)